बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–...../ पटना, दिनांक.....

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से ए0एम0जी0/एम0एम0जी0 के तहत लंबित विधुत शुल्क की प्रतिपूर्ती हेतु कुल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़) मात्र सब्सिडी राशि की व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रभावी तिथि से ए0एम0जी0/एम0एम0जी0 के तहत लंबित विधुत शुल्क की प्रतिपूर्ती हेतु कुल **₹500.00 लाख (पाँच करोड़) मात्र** सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का व्यय उद्योग विभागीय संकल्प सं0–691, दिनांक–09.06.2011 द्वारा घोषित प्रावधानों/दिशा निदेश के अनुरूप किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य योजना आय–व्ययक में बजट उपबंध एवं उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से AMG/MMG के तहत विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ती की सुविधा 7 (सात) वर्षो के लिए मान्य है।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना से विद्युत संबंधी छूट/प्रतिपूर्त्ति हेतु उद्यमियों को दी गई वास्तविक छुट की राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु प्राप्त दावा के विरूद्ध राशि का भुगतान बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सी0एफ0एम0एस0 प्रावधान के माध्यम से उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायेगें।

6. योजना के नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेग।

7. यह राज्य सरकार की चालू योजना है। राशि की निकासी फार्म बी0टी0सी0–25 पर की जायेगी।

8. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

9. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं0 **सं0–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015** के पृष्ट 220/टि0 पर प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ट–02...

10. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0 सं0–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट–233/टि0 पर दिनांक–31.07.2019 को प्राप्त हैं।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.06.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:–7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–......................./
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

पटना, दिनांक–...............................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–......................./
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

पटना, दिनांक–...............................

प्रतिलिपि:–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–3021/
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

पटना, दिनांक–1.8.19

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) क0 लि0, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1, उद्योग विभाग/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, एस0आई0पी0बी0 एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।